भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3575

उत्तर देने की तारीख 8 अगस्त, 2022

सोमवार, 17 श्रावण, 1944 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (□ीएमकेवीवाई) के चरण

3575. श्री जयदेव गल्ला:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृ□ा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (□ीएमकेवीवाई) के विभिन्न चरणों की क्या प्रगति है और वर्ष 2015 से कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी □ाने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार और राज्य सरकार द्वारा □ूरे देश में □ीएमकेवीवाई के विभिन्न चरणों हेतु संवितरित और उ□योग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने □ीएमकेवीवाई से स्त्रातक हुए लोगों के करियर □थ (ट्रैजेक्ट्री) का □ता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ड) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसा अध्ययन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (□ीएमकेवीवाई) को वर्ष 2015 से तीन चरणों अर्थात □ीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16), □ीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) और □ीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22) में कार्यान्वित किया गया था। □ीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के अंतर्गत, प्रशिक्षण के दो घटक हैं अर्थात अल्□ावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और □ूर्व शिक्षण मान्यता (□ र□ीएल)। एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि □ र□ीएल नियोजन से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को मान्यता प्रदान करता है। इसके प्रारंभ किए जाने से लेकर, दिनांक 30.06.2022 तक, देश भर में 1.36 करोड़ उम्मीदवार □ीएमकेवीवाई से लाभान्वित हुए हैं। विभिन्न चरणों के दौरान □ीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और रि□ोर्ट किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) □ीएमकेवीवाई (□ीएमकेवीवाई 1.0 के अतिरिक्त) के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) घटक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशन के माध्यम से कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक नामक दो घटक हैं। □ीएमकेवीवाई के सीएससीएम घटक के अंतर्गत, राज्य-वार निधि के □ वंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(राशि करोड़ रु□ए में)

स्कीम	केंद्रीय घटक	
	जारी धनराशि	उ□योग की गई धनराशि
□ीएमकेवीवाई 1.0	1,335.00	1,174.48
□ीएमकेवीवाई 2.0	6,611.02	6,412.83
□ीएमकेवीवाई 3.0	644.27	289.83
कुल	**8,590.29**	**7,877.15**

□ीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत, राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधि और संबंधित वास्तविक लक्ष्य □ वंटित किए गए हैं। दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार □ीएमकेवीवाई 2.0 और □ीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत राज्य द्वारा □ वंटित, वितरित और उ□योग की गई राज्य-वार निधि **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) से (ङ) नीति □ योग द्वारा □ीएमकेवीवाई 2.0 का मूल्यांकन अक्टूबर 2020 में नौकरियों और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत किया गया था। इस प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से बड़े रोजगार और कौशल क्षेत्र में स्कीम स्तर के योगदान का अनुमान लगाया जाता है, इसके साथ-साथ कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित क्षमता और □रिणाम सामने □ ए:

- इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किया गया प्रशिक्षण नियोक्ताओं के लिए प्रासंगिक है और वे अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की तुलना में □ीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं।
- 52 प्रतिशत उम्मीदवार जिन्हें □ूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार प्रदान किया गया था और जिन्होंने □ र□ीएल घटक के अंतर्गत प्रशिक्षण □ूरा किया था, उन्हें उच्च वेतन प्राप्त हु□ या उन्हें प्रतीत हु□ कि प्रमाण-□त्र न प्राप्त कर सकने वाले अ□ने समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।
- सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित और उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे।
- सर्वेक्षण में शामिल लगभग 67 प्रतिशत और 18 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समग्र अनुभव क्रमशः अच्छा और बहुत अच्छा था।

इसके अलावा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (□ ई□ ई□ीए) द्वारा □ीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) स्कीम का तृतीय-□क्ष प्रभाव मूल्यांकन किया गया था। प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है:

- लाभार्थियों के अधिकतम प्रतिशत (70.5%) ने अ□ने वांछित कौशल क्षेत्र में नियोजन प्राप्त किया।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि □ीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखा जाता है, एनएसडीसी और सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसियां विभिन्न मानदंडों का उ□योग करती हैं। इनमें स्किल इंडिया □ोर्टल (एस□ ई□ी) (□ूर्ववर्ती कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस)) के माध्यम से सत्या□न, औचक निरीक्षण और अनुवीक्षण शामिल है। नवीनतम तकनीकों का उ□योग करके इन मानकों को तीव्र किया गया है।
- इस स्कीम के प्रभाव के रू□ में, लाभार्थी शिक्षुओं के मासिक वेतन में 118.2% □रिवर्तन को मान्यता दी गई है। सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का औसत मासिक □ारिश्रमिक/दिहाड़ी □ीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत प्रशिक्षण □ूरा होने के □श्चात 8,422.64 रु□ए से बढ़कर 17,871.26 रु□ए हो गया है।

अनुबंध-I

□ीएमकेवीवाई के चरणों के बारे में 08.08.2022 को □ूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3575 के □ा (क) के उत्तर के संदर्भ में

□ीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	□ीएमकेवीवाई 1.0		□ीएमकेवीवाई 2.0		□ीएमकेवीवाई 3.0	
		प्रशिक्षित	नियोजित रि□ोर्ट	प्रशिक्षित एसटीटी	नियोजित रि□ोर्ट	प्रशिक्षित एसटीटी	नियोजित रि□ोर्ट
1	अंडमान व निकोबार द्वी□ समूह	194	0	2,741	124	147	0
2	□ ंध्र प्रदेश	1,30,143	18,629	1,66,273	91,482	13,474	1,307
3	अरुणाचल प्रदेश	1,017	88	32,536	11,449	4,251	159
4	असम	31,183	3,694	1,50,425	60,138	21,761	1,611
5	बिहार	89,281	12,047	2,67,042	1,12,890	29,189	1,694
6	चंडीगढ़	4,871	396	13,488	5,813	628	141
7	छत्तीसगढ	36,488	1,351	85,363	25,812	6,558	777
8	दिल्ली	75,284	5,244	1,72,365	72,455	7,682	538
9	गोवा	499	213	3,248	891	340	1
10	गुजरात	43,324	3,152	1,44,793	65,083	11,824	372
11	हरियाणा	81,435	8,278	3,04,181	1,49,422	10,573	1,136
12	हिमाचल प्रदेश	22,738	2,158	68,161	23,989	6,695	474
13	जम्मू और कश्मीर	17,704	274	1,19,517	51,089	20,528	836
14	झारखंड	26,758	1,855	85,200	26,446	8,048	497
15	कर्नाटक	73,607	13,877	1,45,325	58,960	16,045	1,273
16	केरल	14,689	1,487	74,248	23,694	12,634	662
17	लद्दाख	75	0	2,174	944	731	92
18	लक्षद्वी□	0	0	150	0	120	0
19	मध्य प्रदेश	1,59,595	22,709	4,06,824	1,94,104	36,326	3,159
20	महाराष्ट्र	84,455	10,844	2,38,270	68,712	29,877	946
21	मणि□ुर	1,328	499	43,247	15,055	4,618	92
22	मेघालय	1,701	110	28,163	12,224	1,931	174
23	मिजोरम	1,030	93	22,012	9,291	3,116	182
24	नगालैंड	1,271	77	22,014	5,722	1,741	83
25	उड़ीसा	56,822	10,430	1,38,974	59,704	11,979	894
26	□ुदुचेरी	7,070	904	14,719	9,292	1,628	240
27	□ंजाब	72,527	10,630	2,32,493	1,16,020	12,816	1,982
28	राजस्थान	1,13,182	13,224	3,52,403	1,69,532	23,049	1,012
29	सिक्किम	886	13	9,395	3,502	1,426	262
30	तमिलनाडु	1,51,571	44,752	2,33,195	1,23,691	21,771	3,241
31	तेलंगाना	97,881	20,923	1,65,436	90,294	13,745	1,704
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	488	207	5,074	2,578	250	32
33	त्रि□ुरा	14,018	5,235	39,008	12,492	2,979	119
34	उत्तर प्रदेश	2,59,364	24,403	7,27,709	3,09,993	43,933	2,292
35	उत्तराखंड	13,675	1,180	1,15,439	50,639	8,040	441
36	□श्चिम बंगाल	1,18,052	14,320	2,27,341	99,189	21,008	2,174
	सकल योग	**18,04,206**	**2,53,296**	**48,58,946**	**21,32,715**	**4,11,461**	**30,599**

अनुबंध-II

□ीएमकेवीवाई के राज्य घटक के तहत विभिन्न □ुनरावृत्तियों के लिए जारी और उ□योग की गई धनराशि का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	□ीएमकेवीवाई 2.0		□ीएमकेवीवाई 3.0	
		जारी निधि	उ□योग की गई निधि	जारी निधि	उ□योग की गई निधि
1.	अंडमान और निकोबार द्वी□ समूह	2.11	0.51	-	-
2.	□ ंध्र प्रदेश	54.93	43.12	2.46	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	24.88	17.06	0.83	0.83
4.	असम	54.85	37.03	3.75	-
5.	बिहार	36.82	3.62	-	-
6.	चंडीगढ़	7.96	6.28	0.17	-
7.	छत्तीसगढ	35.58	21.30	-	-
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.11	1.98	-	-
9.	दिल्ली	33.70	24.30	1.62	0.63
10.	गोवा	10.70	2.01	-	-
11.	गुजरात	46.95	38.35	-	-
12.	हरियाणा	36.57	20.76	1.97	-
13.	हिमाचल प्रदेश	21.56	14.75	-	-
14.	जम्मू और कश्मीर	33.05	21.98	-	-
15.	झारखंड	29.60	21.74	-	-
16.	कर्नाटक	21.44	21.44	3.32	-
17.	केरल	32.55	23.11	2.03	0.63
18.	लक्षद्वी□	1.23	0.50	-	-
19.	मध्य प्रदेश	34.05	27.20	3.56	-
20.	महाराष्ट्र	85.78	85.77	6.02	-
21.	मणि□ुर	41.60	38.20	0.82	-
22.	मेघालय	23.42	23.40	0.65	-
23.	मिजोरम	22.13	19.88	0.53	0.43
24.	नगालैंड	42.37	31.88	0.69	0.61
25.	उड़ीसा	27.71	6.02	-	-
26.	□ुदुचेरी	11.35	10.94	0.23	-
27.	□ंजाब	62.40	56.18	-	-
28.	राजस्थान	26.19	20.31	-	-
29.	सिक्किम	4.77	4.77	0.36	0.35
30.	तमिलनाडु	68.86	41.75	-	-
31.	तेलंगाना	31.55	22.95	2.57	-
32.	त्रि□ुरा	24.82	19.93	0.92	0.92
33.	उत्तर प्रदेश	106.84	65.38	8.37	-
34.	उत्तराखंड	61.99	60.36	0.88	0.77
35.	□श्चिम बंगाल	38.05	17.54	-	-
36.	लद्दाख	-	-	-	-
	योग	**1,202.45**	**872.33**	**41.75**	**5.15**

****